न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

भूमि बिक्री अनुमति वाद संख्या–86/2024

लेदन बीबी

बनाम्

मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

–: आदेश :–

आवेदिका लेदन बीबी, पति–स्व0 नसीम खां उर्फ रशीम खां निवासी ग्राम+पो0–चकला, थाना+अंचल–चन्दवा, जिला–लातेहार के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 के तहत् चकला खुली कोयला खदान परियोजना, चकला, चन्दवा के लिए मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, 21वीं मंजिल प्रथम अंतरराष्ट्रीय केन्द्र टॉवर 4, प्रभादेवी, प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पास सेनापति बापत मार्ग, मुम्बई–400013 कोयला खदान (प्रतिष्ठान) चकला खुली कोयला खदान परियोजना ग्राम+पो0–चकला, थाना+अंचल–चन्दवा, जिला– लातेहार के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय कुमार राय पिता–स्व0 जनार्दन राय, जो चकला कोयला खदान में भूमि विभाग के सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थापित है के साथ अपनी निम्नांकित भूमि को बिक्री हेतु अनुमति के लिए आवेदन समर्पित किया गया है :–

भूमि का विवरण

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा (एकड़ में)
चकला	111	1147	0.535
		1331	0.390
		कुल रकबा–	**0.925**

आवेदक द्वारा अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि का आम इस्तेहार प्रकाशित करते हुए अंचल अधिकारी, चन्दवा से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

अंचल अधिकारी, चन्दवा के पत्रांक 770 दिनांक 19.09.2024 से

भूमि का जांच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार की प्रति प्राप्त हुआ। अंचल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में वर्णित किया गया है कि आवेदिका द्वारा बिक्री हेतु अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि की खतियान नसीम खां वो छीतन खां पिता–तवारक अली खां के नाम से है। आर0एस0 मांग पंजी–II के भाग वर्तमान–1 पृष्ठ सं0–109 पर रसीम खां वो छीतन खां पिता–तवारक अली खां के नाम से जमाबंदी चल रही है। आवेदिका द्वारा जमाबंदी की सम्पूर्ण भूमि की बिक्री हेतु पूर्वानुमति के लिए आवेदन दाखिल किया गया है। बिक्री हेतु दाखिल आवेदन के विरूद्ध मांगधारी रैयत छीतन खां की पत्नी नजबुन बीबी के द्वारा आपत्ति किया गया है कि उनके हिस्से की भूमि बिक्री हेतु आवेदिका द्वारा आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदिका के हिस्से में खाता नं0–111, प्लॉट नं0–1147 एवं 1331, क्रमशः रकबा–0.2675 एकड़ एवं रकबा–0.195 एकड़, कुल रकबा–0.4625 एकड़ भूमि मात्र है। उक्त आलोक में अंचल अधिकारी, चन्दवा द्वारा आवेदिका को भूमि बिक्री की अनुमति प्रदान नहीं करने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः अंचल अधिकारी, चन्दवा द्वारा जांच प्रतिवेदन में किये गये अनुशंसा के आलोक में आवेदिका द्वारा भूमि बिक्री के लिए अनुमति हेतु दाखिल आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष एवं अंचल अधिकारी, चन्दवा को भेजें।

अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

25/9 उपायुक्त, लातेहार।

28/9 उपायुक्त, लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.10.01 12:40:51 +05:30
Location: 192.168.25.143